अर्द्धशा0 डीजी परिपत्र संख्या– 61 /2015

जगमोहन यादव,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
1–तिलक मार्ग, लखनऊ

दिनांकः लखनऊः अगस्त 23,2015

प्रिय महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि वृक्षों का संरक्षण पर्यावरण संतुलन के लिए अत्यन्त आवश्यक है, किन्तु वन माफियाओं द्वारा अपने निहित स्वार्थों एवं आर्थिक लाभ के कारण बड़ी संख्या में अवैध रूप से हरे वृक्षों को काटा जा रहा है। हरे वृक्षों के अवैध कटान से न सिर्फ पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है अपितु प्रदेश की वन सम्पदा भी नष्ट होती है। अतः यह आवश्यक है कि हरे वृक्षों के अवैध कटान को रोकने के लिए हर सम्भव प्रयास किये जायें एवं इस प्रकार के संगठित गिरोहों/व्यक्तियों के विरूद्व सख्त से सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाये।

2. भारतीय वन अधिनियम की **धारा–66** के तहत् प्रत्येक पुलिस अधिकारी को वन अपराध के नियंत्रण का गुरूतर दायित्व है तथा **धारा–66ए** के तहत् ऐसा करने में विफल रहने पर दो वर्ष की सजा भी प्राविधानित है।

धारा–66 एवं धारा–66ए निम्नवत हैं:–

66. <u>**Power to prevent commission of offence:-**</u> Every Forest Officer and Police Officer shall prevent, and may interfere for the purpose of preventing, the commission of any forest-offence.

66-A. <u>**Penalty for not preventing commission of forest offence:-**</u> Whoever, being a Forest Officer or Police Officer, bound under Section 66 to prevent commission of any forest offence, intentionally or knowingly, neglects or omits to prevent or abets, the commission of such offence, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine or with both.

3. अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ नियुक्त समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित करें कि वह वन माफियाओं एवं अवैध वन कटान करने वाले व्यक्तियों के विरूद्व कठोर कार्यवाही करें। साथ ही उन्हें यह भी अवगत करा दें कि वन सम्पदा का संरक्षण उनके वैधानिक दायित्वों में है और वह अपनी इस वैधानिक जिम्मेदारी से विमुख नहीं हो सकते हैं। अपनी इस जिम्मेदारी से विमुख होने वाले थाना प्रभारियों के विरूद्व भी अनुशासनात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जाये।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

23/8/15

(जगमोहन यादव)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक(नाम से),
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।

2.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानरीक्षक, उ0प्र0।